राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

विनय बनाम मुकेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 209/2025, 210/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 14 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 19/07/2024 पारित करते हुये तहसीलदार पावटा को आदेशित किया गया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 101/0.24, 102/0.22, 104/0.44, 105/0.44, 106/0.52, 107/0.39, 108/0.45, 109/0.50 हैक्टेयर भूमि वाके मौजा पावटा तह. पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड़ स्थित आराजीयात का राजस्व बोर्ड के नियमानुसार पक्षकारान को सूचित कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 के तहत बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तैयार कर प्रेषित की जावे तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार अन्तिम निर्णय व डिक्री 25/10/2024 पारित की गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 19/07/2024 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिन्क 25/10/2024 के विरुद्ध पृथक-पृथक दो अपीले क्रमश: 209/2025 व 210/2025 प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी मौखिक बहस की। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 14 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 19/07/2024 पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का हिस्सा दुसरे पक्षकार को दे दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को आपत्ति का अवसर प्रदान किये बगैर एवं सुनवाई का अवसर दिये बगैर अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित किए आने में विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटी कारित की है। विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक सहखातेदारान को जरिये नोटिस सुचना देते हुये सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक होता है परन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थमिक निर्णय व डिक्री एवं तत्पश्चात अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करने में गम्भीर क़ानूनी त्रुटी कारित की है। अत: अपील स्वीकार फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों एवं विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	विनय बनाम मुकेश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	209/2025, 210/2025	

अपीलाधीन प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई त्रुटी नही होने से दोनों अपीले ख़ारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस उद्धरित तथ्यों से मुख्य विवाद का बिन्दु यह जाहिर होता है कि अन्तिम डिक्री के माध्यम से किये गये विभाजन में अपीलार्थी की कब्जे की भूमि को दुसरे पक्षकार को दे दिया गया, जबकि अपीलार्थी द्वारा इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष काउन्टर क्लेम भी पेश किया गया था एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर भी अन्तिम डिक्री पारित करने से पूर्व प्रदान नही किया गया है। चूँकि सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रिया है, जिसमे दोनों पक्षों की उपस्थिति में कुर्रेजात तैयार करवाया जाना सुनिश्चित करते हुये तत्पश्चात पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर प्राप्त आपत्तियों का परिक्षण/विवेचन कर विधिसम्मत विभाजन किया जाना न्यायसंगत होता है ताकि बाद विभाजन पक्षकारान के मध्य कोई विवाद शेष नही रहे। अत: ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 19/07/2024 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 25/10/2024 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की उपस्थिति में कुर्रेजात तैयार करवाया जाना सुनिश्चित कर बाद प्राप्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्राप्त आपत्तियो का विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये विधिसम्मत अन्तिम निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे। तब तक न्यायहित में विवादग्रस्त भूमि की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति दोनों पक्षक बनाये रखे। तदनुसार दोनों अपीले क्रमश 209/2025 व 210/2025 निस्तारित की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर